

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(16)वित्त/आब/2019

जयपुर, दिनांक: 09.10.2020

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1967 के नियम 13 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल को आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल के पद पर स्थानापन्न रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

वर्ष 2019-20

क्र.सं.	नाम अधिकारी	रिक्ति दिनांक
1.	श्री नरेन्द्र कुमार कुमावत	01.04.2019
2.	श्री पोमाराम	01.05.2019

वर्ष 2020-21

क्र.सं.	नाम अधिकारी	रिक्ति दिनांक
1.	श्री अरविन्द प्रताप सिंह	01.04.2020
2.	श्री ज्ञान प्रकाश मीणा	01.09.2020
3.	श्री विजय जोशी	01.02.2021

संबंधित पद आवश्यकतानुसार अस्थायी तौर पर कमोन्नत/कमावनत किये जाते हैं। संबंधित अधिकारी कमोन्नत/कमावनत पद पर अविलम्ब कार्य ग्रहण कर पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।


आज्ञा से,



(औंकारमल राजोतिया)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभागी की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
8. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव